11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आयकर के प्रावधान

Provisions of Income Tax for Retired Employees

(1) आयकर में छूट : वे सभी वरिष्ठ नागरिक, जिन्होने चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कभी भी कम से कम 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, के लिये आयकर से छूट की मौलिक सीमा 3 लाख रू. है, अर्थात् 3 लाख रू. तक आय वाले वरिष्ठ नागिरिकों को कोई आयकर नही देना पड़ेगा।

(2) पेंशन : मासिक पेंशन पूर्णतः कर योग्य (Fully Taxable)।

(3) मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (Death Retirement Gratuity) धारा 10(10): सरकारी एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति या मुत्यू के पश्चात देय ग्रेच्यूटी के रूप में राशि, प्राप्तकर्ता के लिए पूर्णतः करमुक्त होगी, परंतु अन्य कर्मचारी के लिए अधिकतम 10 लाख रू. तक की राशि या 15 दिन का वेतन (सेवा के अंतिम माह में प्राप्त वेतन) प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष हेतु, आंकलित राशि, जो अधिक हो, करमुक्त होगी।

(4) पेंशन सारंशीकरण (Commutation of Pension) :

(अ) धारा 10(10A(i)) के तहत सरकारी एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को पेंशन सारांशीकरण की राशि, पूर्णतः–करमुक्त ।

(ब) धारा 10(10A(ii) के तहत अन्य कर्मचारियों को निम्नानुसार राशि कर मुक्त :–

(अ) यदि ग्रेच्युटी मिली हो तो $1/3$ of Commutation of Pension

(ब) यदि ग्रेच्युटी नही मिली हो तो $1/2$ of Commutation of Pension

(स) धारा 10(10A(iii)) के तहत LIC, के जीवन सुरक्षा पॉलिसी के तहत प्राप्त सारांशीकरण की राशि पूर्णतः– करमुक्त परंतु इस योजना से प्राप्त पेंशन की राशि कर योग्य।

(5) छुट्टियों को नगदीकरण (Encashment of Leave or Leave Salary) धारा 10(10AA) :

(अ) सेवा के दौरान छुट्टियों के नगदीकरण से प्राप्त राशि कर योग्य

(ब) सेवा निवृत्ति, इस्तीफे या मृत्यु के समय सरकारी कर्मचारी के खाते में शेष अवकाश के विरूद्ध प्राप्त राशि पूर्णतः करमुक्त।

अन्य कर्मचारियों को धारा 10(10AA) के तहत, निम्न में से जो कम हो, छूट योग्य होंगे :

i. वास्तव में प्राप्त अवकाश नगदीकरण राशि या

ii. सेवानिवृत्ति पर 30 दिन/प्रति वर्ष के अनुरूप, शेष अवकाश का मूल्यांकन

iii. 10 माह का औसत वेतन (सेवानिवृत्त के ठीक 10 माह पूर्व लिए गए वेतन के औसत मासिक वेतन (Basic + DA)

iv रूपए 3 लाख

(6) छटनी पर क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment) धारा 10(10**B**) : नियमानुसार किसी कर्मचारी श्रमिक की छटनी के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति निम्न में से जो कम हो, की सीमा तक छूट योग्य होगी–

i. वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि या,

ii. औद्योगिक वाद अधिनियम 1947 की धारा 25F(b) के तहत, आंकलित राशि (छः माह तथा 15 दिन/कार्य के वर्ष की दर से, आंकलित माह का औसत वेतन)

iii. 5 लाख रू., परंतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के तहत दी गई क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि पूर्णतः करमुक्त होगी

(7) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त भुगतान (Payment on Voluntary Retirement) धारा 10(10C) : किसी पब्लिक कंपनी या अन्य कंपनी, सहकारी समिति, विश्वविद्यालय आदि तथा भारत या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के तहत प्राप्त राशि, अधिकतम 5 लाख रू. की सीमा तक करमुक्त। परन्तु ये अब धारा 89(i) के तहत राहत पुनः क्लेम नही कर सकेगें।

(8) भविष्य निधि से प्राप्त राशि (Receipt from Provident Fund) धारा 10(11) : वैधानिक/प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड से प्राप्त रकम (ब्याज सहित) पूर्णतः– करमुक्त होती है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:29 PM